न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2669–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–6–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 42/निगरानी/09–10.

बाबूखां पुत्र काले खां
निवासी भगवती कालौनी, गुना
जिला गुना .....आवेदक

विरूद्ध

1– तहसीलदार, परगना गुना, जिला गुना
2– राकेश जैन पुत्र छोटेलाल जैन
निवासी गढ़ा कालौनी गुना
जिला गुना ..... अनावेदकगण

.....

श्री एस.के. श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी.एन. त्यागी, अभिभाषक, एवं
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/11/14 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी ग्राम गुना हल्का नं. 75 द्वारा आवदेक के विरूद्ध डायवर्सन की बकाया राशि वसूली हेतु रिपोर्ट तहसीलदार, गुना के समक्ष प्रस्तुत की गई । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 19/अ–76/04–05 पंजीबद्ध कर नीलामी की कार्यवाही की जाकर दिनांक 27–2–2006 को अंतिम आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय

अधिकारी, गुना के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 29–9–07 को लगभग 17 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–2–2009 को आदेश पारित कर विलम्ब क्षमा किए जाने योग्य नहीं मानते हुए अपील अवधि बाह्य होने से अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए पर अपर आयुक्त द्वारा द्वारा दिनांक 22–6–2012 को आदेश पारित कर निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय ने आवेदक द्वारा जो भूमि विक्रय कर दी गई थी, उस पर भी डायवर्सन शुल्क लगाने में गंभीर भूल की है । यह भी कहा गया कि विक्रीत भूमि पर डायवर्सन शुल्क नहीं लगाया जा सकता है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अपनी भूमि का डायवर्सन शुल्क 10,000/– जमा करा दिया है, और जो भी राशि शेष निकलेगी, उक्त राशि देने का तैयार है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय की कार्यवाही अनियमित एवं शून्यवत है और ऐसे आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देकर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण नहीं कर तकनीकी आधार पर निराकरण करने में गंभीर भूल की है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त को चाहिए था कि वे निगरानी को अपील में परिवर्तित कर गुण–दोष पर आदेश पारित करते, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर निगरानी निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विक्रीत भूमि पर डायसर्वन शुल्क नहीं लगाया गया है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश उचित हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक एवं अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक बाबूखां द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 27–2–06 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 29–9–07 को लगभग 17 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित है कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 31–1–2006 को आवेदक की उपस्थिति में नीलामी की कार्यवाही की गई है एवं दिनांक 27–2–2006 को नीलामी की राशि जमा कराई गई है, अतः आवेदक को प्रारंभ से ही आदेश की जानकारी थी । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त द्वारा इस निष्कर्ष के साथ निगरानी निरस्त की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में अंतिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है और आवेदक द्वारा निगरानी को अपील में परिवर्तित करने का कोई निवेदन भी नहीं किया गया है, जो कि पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–2012 एवं अनुविभागीय अधिकारी, गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–2–2009 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर